कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

E-mail:-dpojgr@rediffmail.com

//प्रेस विज्ञप्ति//

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत **सखी निवास** के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले मे 09 स्वीकृत संविदा पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 08/01/2026 से 23/01/2026** तक https://sakhiniwas.e-bharti.in/janjgir-champa ऑनलाईन के माध्यम से में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। **आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।**

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट https://janjgir-champa.gov.in/en/ व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

क्र./2546/मबावि/स्था./2025–26 जांजगीर, दिनांक 6/01/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (N.I.C.) जिला जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट में अपलोड़ करने का कष्ट करेंगे ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

E-mail:-dpojgr@rediffmail.com

क्र./2558/मबावि/स्था./2025–26 जांजगीर, दिनांक 6/01/2026

//विज्ञापन//

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत **सखी निवास** किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय शक्ति सदन हेतु जिले मे 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन पत्र **दिनांक 08/01/2026 से 23/01/2026** तक https://sakhiniwas.e-bharti.in/janjgir-champa ऑनलाईन के माध्यम से में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। **आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।** विज्ञापित पद निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	जिले में स्वीकृत पदों की संख्या (महिला हेतु)					वेतन मैट्रिक्स लेवल	एकमुश्त/ संविदा मासिक वेतन
			अनारक्षित	अ.ज. जा.	अ. जा.	अपिव.	योग		
1	प्रबंधक	01	01	0	0	0	01	06	18420
2	वार्डन	01	01	0	0	0	01	04	14200
3	केयर टेकर	03	01	1	01	0	03	01	5766 (अर्द्धकालीन संविदा)
5	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	03	01	1	01	0	03	01	11360
	कुल :–	**08**	**04**	**02**	**02**	**0**	**08**		

चयन हेतु आवश्यक शर्तें:–

1. **सखी निवास** में समस्त कर्मचारी महिलायें होंगी।
2. **सखी निवास** के प्रबंधक एवं वार्डन पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 25 से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3. **सखी निवास** के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो।
4. आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण–पत्र, शाला का दाखिल पंजी या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इस पद हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

9 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

10 केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम/नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।

11 अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव स्वं प्रमाणित प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।

12 पद कमांक 1 के लिए न्युनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

13 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी।

14 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

15 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।

16 शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

18 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। आवेदक द्वारा पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेद का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

19 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

20 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रकिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्युनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।

21 ऑनआईन आवेदन निर्धारित की गयी तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जावेगा। आवेदन पत्र **दिनांक 08/01/2026 से 23/01/2026** तक https://sakhiniwas.e-bharti.in/janjgir-champa ऑनलाईन के माध्यम से में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट /कोरियर **के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को** स्वीकार नही किया जावेगा।

22 **कौशल परीक्षा/वॉक इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ अन्य भत्ता देय नही होगा।**

Scanned with OKEN Scanner

23 आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।

2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 20 अंक।

3 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनो में 10–10 अंक होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता सूची अनुसार 01 पद के विरूद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा. भत्ता/अन्य भत्ता देय नही होगा।

अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

चयन हेतु आईताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्ते :– भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश मे चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तो का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:–

4.1 शक्ति सदन संचालन हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः–

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	आयु सीमा
1	प्रबंधक	सामाजिक कार्य/सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान होना एवं M.S. Office में कार्य करने की क्षमता	शासकीय/अर्द्धशासकीय परियोजना/कार्यकमों में महिलाओं से संबंधित विषय जिसमें कामकाजी महिला छात्रावास में पर्यवेक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष कार्य का अनुभव	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो
2	वार्डन	किसी भी विषय में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान होना एवं M.S. Office में कार्य करने की क्षमता	महिलाओं से संबंधित कानूनों / नीतियों/कार्यकमों के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो
3	केयर टेकर	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/शिक्षण संस्थान से हायर सेकेंडरी / 10+2 या समकक्ष	–	बिल्डिंग केयरटेकर तथा बहुउद्देशीय सहायक के कार्य का सुपरविजन कार्य या समकक्ष के पद पर 02 वर्ष का कार्यानुभव	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो
4	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	पांचवी उत्तीर्ण	–	राज्य या जिला स्तर पर सुरक्षाकर्मी कार्य का 02 वष का कार्यानुभव। सेवा निवृत्त सैन्य/अर्द्ध सैन्य व्यक्ति/महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो।

Scanned with OKEN Scanner

नियुक्ति की अवधिः–

1. इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 या 2 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। संविदा की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना की अवधि तक ही सीमित होगी।
2. नियुक्ति अवधि में शक्ति सदन के प्रावधान के अनुसार संविदा वेतन देय होगा। तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई वेतन भत्ता की पात्रता नही होगी।
3. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत कार्य कमी की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
5. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
6. चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर–चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner